संख्या-29/2018/922/30-3-18-6बी/2014टीसी

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 22 मार्च, 2018**

विषय- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में सड़क सुरक्षा के कार्यों हेतु 12 पब्लिसिटी वैन में से लखनऊ, वाराणसी, मेरठ एवं आगरा परिक्षेत्रों में 08 पब्लिसिटी वैन द्वारा माह अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2017 तथा कानपुर एवं बरेली में 04 पब्लिसिटी वैन द्वारा जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक के देयक रू0 1,11,36,960/- (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख छत्तीस हजार नौ सौ साठ मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-307स0सु0/2017-116स0सु0/2015/18, दिनॉक 15-03-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में सड़क सुरक्षा के कार्यों हेतु 12 पब्लिसिटी वैन में से लखनऊ, वाराणसी, मेरठ एवं आगरा परिक्षेत्रों में 08 पब्लिसिटी वैन द्वारा माह अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2017 तक धनराशि रू0 80,78,400/- तथा कानपुर एवं बरेली में 04 पब्लिसिटी वैन द्वारा जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक धनराशि रू0 30,58,560/- अर्थात कुल रू0 1,11,36,960/- (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख छत्तीस हजार नौ सौ साठ मात्र) के भुगतान हेतु प्राप्त प्रस्ताव/आगणन के परीक्षणोपरान्त परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 1508.90 लाख से शासनादेश संख्या-21/2018/831/30-3-18-06बी/2014, दिनांक 12-03-2018 द्वारा 12 पब्लिसिटी वैन के प्रचार-प्रसार हेतु निर्गत धनराशि रू0 115.68 लाख में से रू0 1,11,36,960/- (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख छत्तीस हजार नौ सौ साठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त किये जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त कार्य में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराये गये बिलों के विवरणों की शुद्धता की पुष्टि पुन: करते हुए वर्तमान में प्रचलित समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के संगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
ह0/-
(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-29/2018/922(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित संस्था-श्रीराम होरिजन्स लि0 306 चिन्टल हाउस 16 स्टेशन रोड लखनऊ - 226001
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।